पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 19356/2014

==========

अनीता कुमारी, पत्नी राज कुमार प्रसाद और पुत्री सुखदेव प्रसाद निवासी – गाँव नंदपुर, थाना –मोतिहारी मुफसिल, जिला-पूर्वी चंपारण।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य माध्यम से प्रधान सचिव, बिहार सरकार, मानव संसाधन विभाग, पटना बिहार
2. प्रधान सचिव, बिहार सरकार, मानव संसाधन विभाग,पटना, बिहार।
3. जिला शिक्षा रोजगार अपीलीय प्राधिकरण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
4. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण,।
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी।
8. प्रखंड शिक्षा विस्तार पदाधिकारी, मोतिहारी।
9. मुखिया, उत्तर ढेकाहन पंचायत, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
10. पंचायत सचिव, उत्तरी ढेकाहन पंचायत, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण।
11. सरोज सिन्हा, पत्नी मोतीलाल प्रसाद निवासी गांव-नंदपुर, थाना-मोतिहारी मुफसिल, मोतिहारी ,जिला-पूर्वी चंपारण,

..... उत्तरदातागण

==========

उपस्थिती

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री उमेश तिवारी,
प्रतिवादी /राज्य के लिए	:	श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 11 के लिए	:	श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता
		श्री राकेश अम्बस्थ, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 10 के लिए	:	श्री राजीव कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
		श्री दिनेश झा, अधिवक्ता

==========

वर्तमान रिट आवेदन जिला अपीलीय प्राधिकार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा पारित दिनांक 19.05.2014 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा पंचायत शिक्षा मित्र (पी.एस.एम.) की नियुक्ति के संबंध में याचिकाकर्ता की अपील को समय बीत जाने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च योग्यता अंक होने के बावजूद उसे अनुचित तरीके से नियुक्ति से वंचित किया गया और समय बीत जाने के आधार पर उसकी अपील को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि पी.एस.एम. का पद 01.07.2006 को समाप्त कर दिया गया था, और इस प्रकार याचिकाकर्ता को उस क्षमता में रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।

आयोजित-इस न्यायालय ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 5800/2007 में याचिकाकर्ता के नियुक्ति के दावे को यह कहते हुए पहले ही अस्वीकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता को 01.07.2006 से उक्त पद के समाप्त होने के पश्चात शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तथापि, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 11 के चयन और नियुक्ति को चुनौती देने के लिए जिला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।

माना कि याचिकाकर्ता को 01.07.2006 को पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में पंचायत शिक्षक के रूप में परिवर्तित किए जाने के समय पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। प्रतिवादी संख्या 11 की सेवाओं को पंचायत शिक्षा मित्र/पंचायत शिक्षक के रूप में समाहित कर लिया गया था। याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में रोजगार या माने जाने वाले रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है या बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 के नियम 20(iii) के संचालन द्वारा पंचायत शिक्षक के रूप में सेवा में समाहित होने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 11 बहुत लंबी अवधि से काम कर रहा है और याचिकाकर्ता को शिक्षा मित्र या पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, मैं इस विचार पर हूँ कि दिनांक 19.05.2014 के पत्र में इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है परिणाम में,

यह रिट आवेदन खारिज किया जाता है।

पटना उच्च न्यायालक का निर्णय आदेश

==========

समक्षः-माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

तारीखः 22-04-2024

1. वर्तमान रिट आवेदन जिला अपीलीय प्राधिकार, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा पारित दिनांक 19.05.2014 के आदेश को निरस्त करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की अपील को समय बीत जाने के कारण खारिज कर दिया गया था।

2. वर्तमान मामले के तथ्य वर्ष 2005 में आयोजित पंचायत शिक्षा मित्र (संक्षेप में 'पी.एस.एम.') की नियुक्ति से संबंधित हैं, जिसमें याचिकाकर्ता ने अन्य उम्मीदवारों के साथ आवेदन किया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चयन हेतु मेरिट सूची में उच्च वेटेज अंक होने के बावजूद याचिकाकर्ता को पी.एस.एम. के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 11 अर्थात् सरोज सिन्हा को नियुक्त किया गया।

4. याचिकाकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता को उजागर करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी चंपारण के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया था और उसके अनुसरण में जिला पंचायत राज अधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ने अपने पत्र दिनांक 14.01.2006 के माध्यम से संबंधित नियोजन इकाई को सूचित किया कि जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी चंपारण ने उत्तरी ढेकहां पंचायत, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के चयनित पी.एस.एम. का मानदेय रोके और पी.एस.एम. की नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया था । जब कुछ नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 5800/2007 में इस न्यायालय के समक्ष आवेदन किया, जिसका निपटारा

दिनांक 27.10.2010 के आदेश के तहत किया गया और याचिकाकर्ता को जिला अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी । याचिकाकर्ता के अनुसार जिला अपीलीय प्राधिकरण ने अनुलग्नक-5 के अनुसार अपील को समय समाप्त मानते हुए खारिज कर दिया था ।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के लागू होने के बाद सभी पंचायत शिक्षा मित्रों को पंचायत शिक्षक में परिवर्तित कर दिया गया है तथा 01.07.2006 से पी.एस.एम. का पद समाप्त कर दिया गया है।

6. मैंने याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। इस न्यायालय ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 5800/2007 में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के दावे को यह कहते हुए पहले ही अस्वीकार कर दिया है कि याचिकाकर्ता को 01.07.2006 से उक्त पद के समाप्त होने के पश्चात शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तथापि, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 11 के चयन और नियुक्ति को चुनौती देने के लिए जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

7. अनुलग्नक-5 में दिए गए विवादित आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक के पत्र रूप में है, जिसमें कोई अपील संख्या और अन्य विवरण नहीं है। यह भी प्रतीत होता है कि यदि कोई अपील दायर भी की गई थी, तो वह चयन की तिथि से नौ वर्ष बाद और इस न्यायालय द्वारा 27.10.2010 को रिट याचिका के निपटारे के चार वर्ष बाद की गई थी। निस्संदेह, याचिकाकर्ता को 01.07.2006 को पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, अर्थात पंचायत शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक के रूप में परिवर्तित किए जाने के समय।

प्रतिवादी संख्या 11 की सेवाओं को पंचायत शिक्षा मित्र/पंचायत शिक्षक के रूप में समाहित कर लिया गया था।

8. याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में रोजगार/मान्य रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है या बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के नियम 20(iii) के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में सेवा का अधिकार है।

9. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2023 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील/याचिका दाखिल करने की तारीख बताने वाले प्रासंगिक कागजात तथा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के समर्थन में अन्य दस्तावेज रिकार्ड पर लाने का अवसर दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर कोई भी दस्तावेज जैसे अपील ज्ञापन, हलफनामे तथा अन्य सामग्री रिकार्ड पर नहीं लाई गई। जिला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत मामला संख्या भी दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

10. उपरोक्त बातों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 11 बहुत लम्बे समय से कार्यरत है और याचिकाकर्ता को शिक्षा मित्र या पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, मेरा विचार है कि दिनांक 19.05.2014 के विवादित पत्र में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. परिणामस्वरूप, यह रिट आवेदन खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/- एएफआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।